

डाक-व्यय को पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति
अनुमति क्र. भोपाल-एम.पी.
वि.पू.भु./04 भोपाल-2001.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवाजन
एम. पी. 108/भोपाल/2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 497]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 सितम्बर 2001—भद्र 26, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2001

क्र. 4433-454-इकाई-अ(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अभिनियम, जिस पर दिनांक 17 सितम्बर 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १८ सन् २००१.

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २००१.

[दिनांक 17 सितम्बर, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई: अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 17 सितम्बर, 2001 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २००१ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

ऊर्जा विकास उपकर का उदग्रहण.

३. (१) विद्युत् ऊर्जा का प्रत्येक वितरक उस विद्युत् ऊर्जा के, जो किसी मास के दौरान किसी उपभोक्ता को ब्रेचो गई या प्रदाय की गई हो या स्वयं उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से, विहित रीति में तथा विहित समय पर, राज्य सरकार को चुकाएगा:

परन्तु कोई उपकर ऐसी विद्युत् ऊर्जा के संबंध में देय नहीं होगा जो,—

(एक) (क) भारत सरकार को उसके द्वारा उपभुक्त की जाने हेतु ब्रेचो या प्रदाय की गई हो; या

(ख) भारत सरकार या किसी रेल कंपनी को किसी ऐसी रेल के, जो भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हो, सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन में उपभुक्त की जाने हेतु ब्रेचो या प्रदाय की गई हो;

(दो) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ग्रामीण विद्युत् सहकारी सोसाइटी को थोक (बल्क) में ब्रेचो या प्रदाय की गई हो;

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मास" से अभिप्रेत है ऐसी कालावधि जो विहित की

(२) १० किलोवाट से अधिक की कुल क्षमता के अपने कैपिटिव पावर यूनिट या डोजल जनरेटर संट के द्वारा विद्युत् ऊर्जा का उत्पादन करने वाला प्रत्येक उत्पादक उत्पादित विद्युत् ऊर्जा के, जो किसी मास के दौरान चाहे किसी उपभोक्ता को विक्रय या प्रदाय के लिए हो या स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभोग के लिए हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर २० पैसे प्रति यूनिट की दर से राज्य सरकार को चुकाएगा:

परन्तु—

(एक) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त की जाने हेतु उस सरकार द्वारा;

(दो) किसी ऐसी रेल कंपनी के जो भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हो, सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन में उपभुक्त की जाने हेतु भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा;

(चार) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ग्रामीण विद्युत् सहकारी सोसाइटी द्वारा;

(पांच) स्थानीय निकायों द्वारा, जिनमें वे नगरपालिक निकाय तथा पंचायतें भी सम्मिलित हैं जो ऐसी निकायों द्वारा अनुरक्षित किसी बाजार स्थान में सड़क बत्ती या बत्तियां या जल संकर्म या लोक समागम के किन्हीं अन्य स्थानों में उपभुक्त की जाने हेतु,

उत्पादित की गई विद्युत् ऊर्जा के संबंध में कोई उपकर देय नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऊर्जा विकास उपकर को रकम मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल द्वारा संगृहीत की जाएगी और इस प्रकार संगृहीत रकम राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी.

(३) उपधारा (१) तथा (२) के अधीन उपकर के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिया जाने के पश्चात्, राज्य की संचित निधि में से ऐसी रकम प्रत्याहृत कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहे गए उपकर के आगमों के समतुल्य हो और उसे एक ऐसी पृथक् निधि में जमा करेगी जो ऊर्जा विकास निधि कहलाएगी और उक्त निधि में जमा ऐसी रकम मध्यप्रदेश राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित व्यय होगी.

(४) निधि में जमा रकम, राज्य सरकार के विवेकानुसार निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाई जाएगी,—

(क) ऊर्जा, जिसके अन्तर्गत विद्युत् ऊर्जा और साथ ही ऊर्जा के अन्य परम्परागत (कन्वेंशनल) तथा अपरम्परागत (नॉनकन्वेंशनल) स्रोत भी आते हैं, के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास;

(ख) ऊर्जा के उत्पादन, पारेपण, वितरण तथा उपयोग संबंधी दक्षता में सुधार, जिसके अंतर्गत पारेपण तथा वितरण में होने वाली हानि का कम किया जाना भी आता है;

(ग) अधिकतम दक्षता, निरन्तरता तथा सुरक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से, उन उपस्करों के, जो ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग में लाए जाते हैं, रूपांकन (डिजाइन), सन्निर्माण, अनुरक्षण, प्रचालन और सामग्री के चारों में अनुसंधान;

(घ) ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए, ऊर्जा के स्रोतों, जिनके अंतर्गत अस्थायी (नॉन पेरिोनियल) स्रोत भी आते हैं का सर्वेक्षण;

(ङ) ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम;

(च) उपभोक्ताओं को ऐसी सुविधाओं और सेवाओं का विस्तारित किया जाना जो आवश्यक समझी जाएं;

(छ) विद्युत् साधित्रों तथा उपस्करों और ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाले अन्य उपस्करों के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला और परीक्षण सुविधाओं का संस्थापन;

(ज) उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये साधक प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(झ) ऊर्जा के क्षेत्र में टेक्नोलाजी का अंतरण;

(ञ) विद्युत् संस्थापनों की सुरक्षा से संबंधित कोई प्रयोजन; और

(ट) विद्युत् ऊर्जा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन, पारेपण, वितरण या उपयोग के सुधार से संबंधित कोई अन्य ऐसे प्रयोजन जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा में "ऊर्जा" के अंतर्गत ऊर्जा के समस्त परम्परागत और अपरम्परागत रूप आते हैं।

(4) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या वह प्रयोजन जिसके लिए निधि का उपयोग किया जा रहा है, उपधारा (4) के अन्तर्गत आने वाला प्रयोजन है अथवा नहीं तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।"

निरसन.

3. मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २००१ (क्रमांक २ सन् २००१) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2001

क्र. 4434-454-इयकीस-अ(प्रा.) — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 18 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोंके, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 18 of 2001

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2001

[Received the assent of the Governor on the 17th September 2001; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated 17th September 2001.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-Second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001.

Amendment of section 3.

2. For section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), the following section shall be substituted, namely:—

Levy of energy development cess.

"3(1) Every distributor of electrical energy shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an energy development cess at the rate of one paise per unit on the total units of electrical energy sold or supplied to a consumer or consumed by himself or his employees during any month:

Provided that no cess shall be payable in respect of electric energy,—

(i) (a) sold or supplied to the Government of India for consumption by that Government; or

- (b) sold or supplied to the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway administered by the Government of India;
- (ii) sold or supplied in bulk to a Rural Electric Co-operative Society registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961);

Explanation.—For the purpose of this sub-section 'month' means such period as may be prescribed.

- (2) Every producer producing electrical energy by his captive power unit or diesel generator set of capacity exceeding 10 Kilowatt in total shall pay to the State Government an energy development cess at the rate of 20 paise per unit on the total units of electrical energy produced whether for sale or supply to a consumer or for consumption by himself or his employees during any month :

Provided that no cess shall be payable in respect of electrical energy produced by—

- (i) the Government of India for consumption by that Government;
- (ii) the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway administered by the Government of India;
- (iii) the State Government for consumption by that Government;
- (iv) a Rural Electric Co-operative Society registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961);
- (v) the local bodies including Municipal bodies and Panchayats for consumption in public street lamp or lamps in any market place or water works or any other places of public resort maintained by such bodies;

Provided further that the amount of energy development cess shall be collected by the Madhya Pradesh State Electricity Board and the amount so collected shall be made available to the State Government.

- (3) The proceeds of the cess under sub-section (1) and (2) shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may, at the commencement of each financial year, after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of cess realized by the State Government in the preceding financial year and shall place it to the credit of a separate fund to be called the Energy Development Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State Government of Madhya Pradesh.
- (4) The amount in the credit of the funds shall, at the discretion of the State Government be utilized for :—
 - (a) research and development in the field of energy including electrical energy as well as other conventional and non-conventional sources of energy;
 - (b) improving the efficiency of generation, transmission, distribution and utilization of energy including reduction of losses in transmission and distribution;

- (c) research in design, construction, maintenance, operation and materials of the equipment used in the field of energy with a view to achieve optimum efficiency, continuity and safety;
- (d) survey of energy sources including non-perennial sources to alleviate energy shortage;
- (e) Energy conservation programmes;
- (f) Extending such facilities and services to the consumers as may be deemed necessary;
- (g) creation of a laboratory and testing facilities for testing of electrical appliances and equipments and other equipments used in the field of energy;
- (h) programmes of training conducive to achieve any of the above objectives;
- (i) Transfer of technology in the field of Energy;
- (j) any purpose connected with safety of electrical installations, and
- (k) any other purposes connected with improvement of generation, transmission, distribution or utilization of electrical and other forms of energy, as the State Government may, by notification, specify.

Explanation.—In this sub-section 'energy' includes all conventional and non-conventional forms of energy.

(5) If any question arises as to whether the purpose for which the fund is being utilized is a purpose falling under sub-section (4) or not, the decision of the State Government thereon shall be final and conclusive."

Repeal.

3. The Madhya Pradesh Upkar (Sansodhan) Adhyadesh, 2001 (No. 2 of 2001) is hereby repealed.